

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर**  
क्रमांक : ई-33/ लै.टै / पैरामेडिकल/एफ.02/2025/55  
**आदेश**

दिनांक 10/03/25

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15 (1) एफ डी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं 27.02.2022 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान-2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार राज्य सेवा में 09 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर उन्हें देय एसीपी निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

| क्र. सं. | कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन स्थान सुश्री/श्री/श्रीमती          | प्रथम नियुक्ति दिनांक | पे मैट्रिक्स लेवल देय दिनांक एवं पूर्ण सेवा अवधि | स्वीकृत एसीपी             |                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|          |                                                                        |                       |                                                  | वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल | देय पे मैट्रिक्स लेवल |
| 1.       | पुनीत सेन, नेत्र सहायक, आई मोबाइल यूनिट रामपुरा कोटा                   | 31.08.2015            | 31.08.2024<br>09 वर्षीय                          | एल-05                     | एल-08                 |
| 2.       | नईम अख्तर, नेत्र सहायक जिला चिकित्सालय रामपुरा कोटा                    | 09.09.2015            | 09.09.2024<br>09 वर्षीय                          | एल-05                     | एल-08                 |
| 3.       | अविनाश सोलंकी, नेत्र सहायक जिला चिकित्सालय रामपुरा कोटा                | 19.10.2015            | 19.10.2024<br>09 वर्षीय                          | एल-05                     | एल-08                 |
| 4.       | कविता वर्मा, नेत्र सहायक सीएचसी सुल्तानपुर कोटा                        | 31.08.2015            | 31.08.2024<br>09 वर्षीय                          | एल-05                     | एल-08                 |
| 5.       | सत्यनारायण वर्मा, नेत्र सहायक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैथून(कोटा) | 27.08.2015            | 27.08.2024<br>09 वर्षीय                          | एल-05                     | एल-08                 |
| 6.       | अशाफाक हुसेन, नेत्र सहायक सामान्य चिकित्सालय/जनाना चिकित्सालय बून्दी   | 08.09.2015            | 08.09.2024<br>09वर्षीय                           | एल-05                     | एल-08                 |

कर्मचारीयो का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/ लै.टै / पैरामेडिकल/एफ.02/2025/55  
प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 12/03/25

1. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-कोटा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा।
3. संबंधित प्रशासनिक/नियंत्रक अधिकारी।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड वारते।
5. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :08-03-2025 04:37:11